वार्षिक रिपोर्ट

2016-17

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार
कोर 4बी, प्रथम तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
वेबसाइट: www.ncrpb.nic.in

विषय-सूची

क्र. सं	विवरण	पृष्ठ सं.
I	औचित्य	1
II	बोर्ड का गठन और सदस्यता	1
III	कार्य	2
IV	शक्तियाँ	2-3
V	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संगठक क्षेत्र	3-4
VI	काउंटर मैग्नेट क्षेत्र	5
VII	योजना समिति - गठन एवं कार्य	5-7
VIII	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना–2021	7-10
IX	सिन्हावलोकन का वर्ष - 2016-17	10-
	क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 का कार्यान्वयन	10-14
	i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा	10-11
	ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रतिभागी राज्यों के नए शामिल ज़िलों के लिए नियोजन	12
	iii) कार्यात्मक योजना	12
	iv) उप-क्षेत्रीय योजना निर्माण	12-13
	v) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 के कार्यान्वयन की निगरानी	13-14
	vi) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्बद्धता: मुख्य परियोजनाएँ	14-16
	क) मध्यवर्ती राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक मेट्रो रेल का विस्तार	14
	ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय त्वरित ट्रांज़िट प्रणाली	14-15
	ग) दिल्ली के आस्पास पेरीफेरल एक्स्प्रेस वे	15-16
	ख) बोर्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएँ	16-17
	अनुलग्नक I : रा.रा.क्षे.यो.बो. द्वारा ऋण सहायता प्राप्त प्रक्रियाधीन अवसंरचना परियोजनाओं की सूची (मार्च, 2017 तक)	18-23
	ग) वर्ष के दौरान ऋण संवितरण	23-25
	घ) i) वित्तीय संसाधन	26-27
	ii) संसाधन संग्रहण	27-28
	iii) लेखों का लेखा परीक्षण	28
	iv) क्षमता विकास सम्बंधी प्रयास-पहल	28-29
	ङ) नई पहल	29
	च) प्रशासन एवं सतर्कता	29-30
	i) प्रशासन	29-30
	ii) सतर्कता	30
	iii) सूचना का अधिकार (आरटीआई)	30-31
	iv) संगठनात्मक संरचना	32-33

I. औचित्य

निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन किया गया था:-

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना तैयार करना;
- उक्त योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी करना; तथा
- इस क्षेत्र में भू-उपयोगों के नियंत्रण के लिए सुसंगत नीतियां बनाना और बुनियादी सुविधा का विकास करना ताकि इस क्षेत्र में बेतरतीब विकास से बचा जा सके ।

II. बोर्ड का गठन और सदस्यता:

शहरी विकास मंत्रालय की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या के-11019/3/2012-डीडी VI दिनाँक 14.02.14 के अनुसार बोर्ड के वर्तमान गठन का ब्यौरा इस प्रकार है:

1	केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री	अध्यक्ष
2	केन्द्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्री	सदस्य
3	रेल मंत्री, भारत सरकार	सदस्य
4	शहरी विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार	सदस्य
5	मुख्यमंत्री, हरियाणा	सदस्य
6	मुख्यमंत्री, राजस्थान	सदस्य
7	मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य
8	उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	सदस्य
9	मुख्यमंत्री, दिल्ली	सदस्य
10	शहरी विकास मंत्री, राजस्थान सरकार	सदस्य
11	शहरी विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
12	सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
13	सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	सदस्य
14	मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार	सदस्य
15	मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	सदस्य
16	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
17	मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सदस्य
18	प्रमुख सचिव, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार	सदस्य
19	सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	सदस्य सचिव

अतिरिक्त सहयोजित सदस्यः

1.	मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, भारत सरकार
2.	सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार

सहयोजित सदस्यः

1.	सचिव, पर्यावरण, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार

III. कार्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 7 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कार्य निम्नलिखित हैः

(क) क्षेत्रीय योजना और कार्यात्मक योजनाएं तैयार करना ।

(ख) प्रत्येक सहभागी राज्य और संघशासित प्रदेश द्वारा उप-क्षेत्रीय योजनाएं और परियोजना योजनाएं तैयार कराने की व्यवस्था करना।

(ग) सहभागी राज्यों और संघ शासित प्रदेश के जरिए क्षेत्रीय योजना, कार्यात्मक योजनाओं, उप-क्षेत्रीय योजनाओं तथा परियोजनाओं को लागू करने और उनके कार्यान्वयन के कार्यों का समन्वयन करना।

(घ) क्षेत्रीय योजना में निर्दिष्ट चरणों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या उप-क्षेत्रों में परियोजना तैयार करने, प्राथमिकताओं के निर्धारण तथा विकास की चरणबद्धता के संबंध में सहभागी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश द्वारा उपयुक्त तथा व्यवस्थित कार्यक्रम तैयार करना सुनिश्चित करना।

(ङ) केन्द्रीय और राज्य योजना निधियों के साथ-साथ अन्य स्रोतों के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चुनिंदा विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण की व्यवस्था और उनका निरीक्षण करना।

IV. शक्तियाँ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 8 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की शक्तियाँ निम्नलिखित हैः

(क) कार्यात्मक योजनाओं तथा उप-क्षेत्रीय योजनाओं को तैयार, लागू और कार्यान्वित करने के संबंध में सहभागी राज्यों और संघ शासित क्षेत्र से रिपोर्ट और सूचना मांगना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि कार्यात्मक योजना अथवा उप-क्षेत्रीय योजना, जो भी हों, क्षेत्रीय योजना के अनुरूप तैयार, लागू और कार्यान्वित हों;

(ग) क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन के चरणों को निर्दिष्ट करना;

(घ) क्षेत्रीय योजना, कार्यात्मक योजना, उप-क्षेत्रीय याजना और परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करना;

(ङ) व्यापक परियोजनाओं का चयन और अनुमोदन, प्राथमिकता प्राप्त विकास की आवश्यकता और उन परियोजनाओं, जिन्हें उपयुक्त समझे, के कार्यान्वयन के लिए ऐसी सहायता मुहैया कराना;

(च) संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर किसी ऐसे शहरी क्षेत्र का चयन, उसकी अवस्थिति, जनसंख्या तथा बिकास की संभावना को ध्यान में रखकर करना जिसे क्षेत्रीय योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विकसित किया जा सकता हो; और

(छ) समिति को ऐसे अन्य कार्य सौंपना जिसे बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे।

V. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संगठक क्षेत्र

जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की अनुसूची {धारा 2 (एफ)} में एवं तत्पश्चात, 14.03.1986 और 23.08.2004 (अलवर जिले के शेष हिस्से को शामिल करने के लिए) की अधिसूचनाओं में परिभाषित किया गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगभग 34,144 वर्ग कि.मी. का क्षेत्र शामिल है जो कि चार राज्यों अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्राधिकार में है । उपर्युक्त क्षेत्र के लिए तैयार क्षेत्रीय योजना -2021 को वर्ष 2005 में अधिसूचित किया गया था।

इसके बाद, भारत सरकार की राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 01.10.2013 के माध्यम से हरियाणा के भिवानी और महेंद्रगढ़ जिले तथा राजस्थान के भरतपुर जिले शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, एनसीआर में हरियाणा राज्य के जिंद और करनाल जिले और उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जिले को 24.11.2015 को भारत सरकार की राजपत्रित अधिसूचना के तहत एनसीआर में शामिल किया गया था। इन अधिसूचनाओं के बाद, एनसीआर का क्षेत्र करीब 53,817 वर्ग किलोमीटर है जिसकी जनसंख्या लगभग 569 लाख (जनगणना 2011 के अनुसार) है।

उपक्षेत्र-वार क्षेत्रफल का ब्यौरा निम्नलिखित अनुसार है:

उप क्षेत्र	जिलों के नाम	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)
हरियाणा	फरीदाबाद, गुड़गाँव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्झर, पानीपत, पलवल, भिवानी (चर्खी दादरी सहित), महेंद्रगढ़, जिंद और करनाल	25,327
उत्तर प्रदेश	मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और मुज़फ्फरनगर	13,560
राजस्थान	अलवर और भरतपुर	13,447
दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली	1,483
	कुल	**53,817**

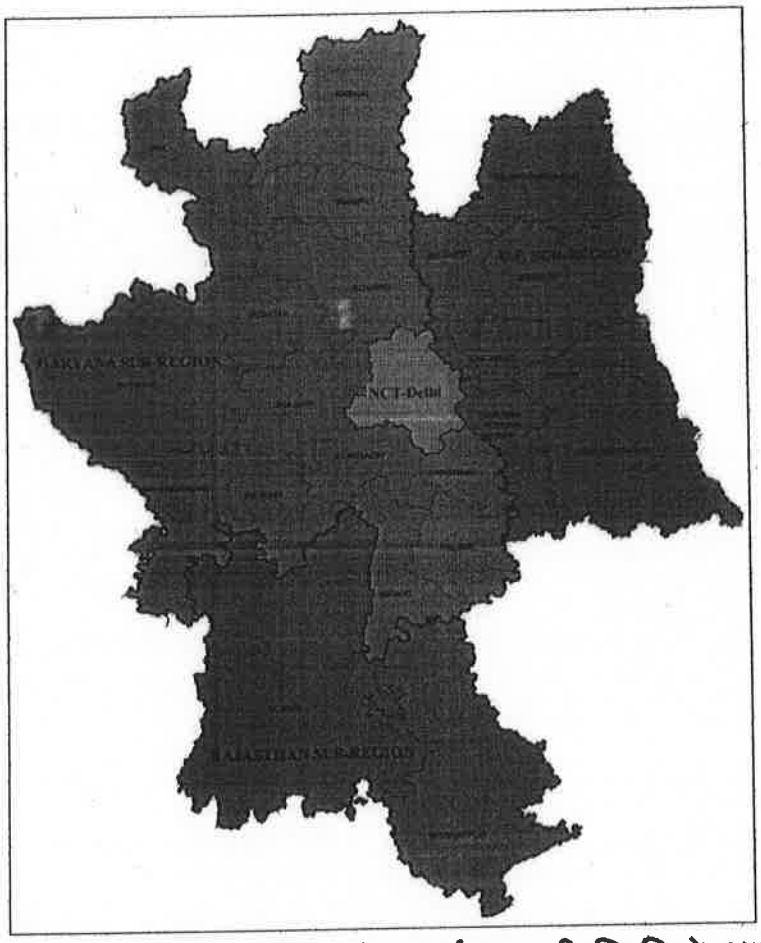

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: संगठक क्षेत्र (मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार)

VI. काउंटर मैग्नेट क्षेत्र

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 8 (च) के तहत बोर्ड को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संबंधित राज्य के साथ परामर्श करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर का कोई भी क्षेत्र उसके स्थान, जनसंख्या और विकास की समर्थता को ध्यान में रखते हुए काउंटर-मैग्नेट क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए चुने ताकि क्षेत्रीय योजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके ।

दिनांक 31.3.2017 की स्थिति के अनुसार 9 काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों है, जो इस प्रकार हैं:

i. हरियाणा में हिसार
ii. हरियाणा में अम्बाला
iii. उत्तर प्रदेश में बरेली
iv. उत्तर प्रदेश में कानपुर
v. राजस्थान में कोटा
vi. राजस्थान में जयपुर
vii. मध्य प्रदेश में ग्वालियर
viii. पंजाब में पटियाला
ix. उत्तराखंड में देहरादून

क्षेत्रीय योजना-2021 के अनुसार, काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों की परिकल्पना दो अलग परंतु परस्पर पूरक भूमिकाओं के लिए की गई थी, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

क) "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवासी प्रवाह, जिसमें तीव्रता से वृद्धि हो सकती है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेजी से विकास होने पर वह कम विकसित समीपवर्ती क्षेत्रों से प्रवासियों को आकर्षित कर सकता है, के लिए अंतर्रोधक बनना; और

ख) क्षेत्रीय विकास केन्द्रों के रूप में जिनसे इन केन्द्रों की अपनी स्थापनओं के कुछ समय बाद इस क्षेत्र में शहकरीकरण का संतुलित पैटर्न बन पाएगा" ।

VII. योजना समिति

(क) गठन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम की धारा 4(1) और (2) के तहत एक योजना समिति के गठन का अधिदेश दिया गया है। बोर्ड के सदस्य सचिव इस योजना समिति के पदेन अध्यक्ष हैं।

इस योजना समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं:

1	सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	अध्यक्ष
2	संयुक्त सचिव,शहरी विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी विकास के मामलों से संबंधित	सदस्य
3	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, हरियाणा	सदस्य
4	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, राजस्थान	सदस्य
5	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, उत्तर प्रदेश	सदस्य
6	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली	सदस्य
7	उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण	सदस्य
8	मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन	सदस्य
9	निदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा	सदस्य
10	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार	सदस्य
11	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य

(ख) सहयोजित सदस्य

I. वरिष्ठ सलाहकार (एचयूडी), योजना आयोग (वर्तमान में नीति आयोग)
II. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, आवास और शहरी विकास निगम
III. संयुक्त सचिव (यू.टी.), शहरी विकास मंत्रालय
IV. संयुक्त सचिव (आई.ए.), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार
V. मुख्य क्षेत्रीय नियोजक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

(ग) योजना समिति के कार्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 9 में यथा उल्लेखित अनुसार योजना समिति के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

9 (1) समिति के कार्यों में समिति बोर्ड की सहायता करेगी:

(क) क्षेत्रीय योजना और कार्यात्मक योजनाएँ तैयार करना और उनके कार्यान्वयन में समन्वयन करना।

(ख) उप क्षेत्रीय योजनाओं और सभी परियोजनाओं की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करना कि क्या वे क्षेत्रीय योजना के अनुरूप हैं।

(2) यह समिति, जैसा जरूरी समझे बोर्ड को किसी उप क्षेत्रीय योजना अथवा किसी परियोजना योजना में संशोधन अथवा आशोधन करने की भी सिफारिश कर सकती है।

(3) समिति ऐसे अन्य कार्य निष्पादित करेगी जो इसे बोर्ड द्वारा सौंपे जाएं।

VIII. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने वर्ष 2021 तक के परिदृश्य को ध्यान में रखकर क्षेत्रीय योजना तैयार की जिसे 17.09.2005 को अधिसूचित किया गया ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु क्षेत्रीय योजना-2021 में अच्छी कृषि भूमि को बचाने और परिरक्षित करने संवेदनशील क्षेत्रों को पर्यावरणिक रूप से परिरक्षित करने और भूमि व्यवस्था (सेटलमेंट) पद्धतियों, परिवहन, बिजली और पानी, सामाजिक अवसंरचना, आपदा प्रबंधन, धरोहर और पर्यटन जैसी भौतिक अवसंरचनात्मक सुविधाओं से परस्पर संबंधित नीतिगत ढाँचे को निर्धारित करने के लिए, जीवन स्तर में सुधार करने और भू-उपयोग के विवेकपूर्ण पैटर्न को सुनिश्चित करने के लिए शहरी और ग्रामीण बस्तियों के सतत विकास हेतु एक बेजोड़ मॉडल व्यवस्था है।

इस योजना का उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को एक वैश्विक उत्कृष्टता के क्षेत्र के रूप में विकसित करना है। इस योजना का लक्ष्य क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि और संतुलित विकास को बढ़ावा देना है तथा (क) दिल्ली के आर्थिक विकास के आवेग को समाने में सक्षम प्रादेशिक बस्तियों की पहचान और विकास के द्वारा भावी वृद्धि के लिए समुचित आर्थिक आधार मुहैया करने; (ख) पहचान की गई ऐसी बस्तियों में संतुलित प्रादेशिक विकास हेतु मदद करने के लिए भू-उपयोग पैटर्नो के साथ पूर्णत: एकीकृत, कारगर और सस्ता रेल तथा सड़क आधारित परिवहन नेटवर्क (व्यापक परिवहन प्रणालियों सहित) प्रदान करने; (ग) प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूतम करने; (घ) चुनिंदा शहरी बस्तियों को दिल्ली के समान परिवहन, विद्युत, संचार, पेयजल, सीवरेज तथा जल निकासी जैसी शहरी बुनियादी सुविधाओं समेत विकसित करने; (ङ) वियुक्तिसंगत भू-उपयोग ढाँचा मुहैया करने और (च) जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए इस क्षेत्र के सतत् विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से इन्हें प्राप्त करने की व्यवस्था है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 में, सभी उप क्षेत्रों के लिए आबादी का अनुमान वर्ष 2021 के लिए लगाया था । जनगणना-2011 के अनुसार वर्ष 2011 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आबादी 460.69 लाख है जबकि क्षेत्रीय योजना-2021 में 486.19 लाख होने का अनुमान है।

क्षेत्रीय योजना-2021 में वर्ष 2011 के लिए उपक्षेत्रवार अनुमानित आबादी तथा जनगणना 2011 के आंकड़ों के साथ इसकी तुलना इस प्रकार है:-

(लाख में)

क्रम सं.	उप क्षेत्र	क्षेत्रीय योजना-2021 के अनुसार वर्ष 2011 के लिए अनुमानित आबादी	जनगणना 2011 के अनुसार आबादी
1	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र - दिल्ली उप क्षेत्र	179.90	167.88
2	हरियाणा उप क्षेत्र	117.55	110.31
3	उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र	150.83	145.76
4	राजस्थान उप क्षेत्र	37.91	36.74
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	**486.19**	**460.69**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 में जिन क्षेत्रों पर जोर दिया गया है, वे इस प्रकार हैं:-

- प्राकृतिक आपदाओं की आशंका और सामाजिक-आर्थिक कार्यकलापों समेत प्राकृतिक विशेषताओं की सावधानीपूर्वक जांच (एनआरएससी, हैदराबाद से प्राप्त उपग्रह चित्रों समेत) से उभरे सुसंगत पैटर्न के अनुसार प्रादेशिक स्तर पर युक्तिसंगत भू-उपयोग निर्धारित करना।
- आर्थिक कार्यकलापों को आकर्षित करने के लिए मेट्रो और क्षेत्रीय केन्द्रों का सशक्त विकास नोडो के रूप में विकास ।
- क्षेत्रीय परिवहन संपर्क लिंक और व्यापक यात्री प्रणाली प्रदान करना।
- दिल्ली के चारों ओर परिसरीय (पेरीफेरल) एक्सप्रेस मार्गो और आरबिटल रेल गलियारे का निर्माण ।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नगरों में मूलभूत शहरी बुनियादी सुविधाओं (परिवहन, विद्युत, जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी) का विकास।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बाहर आदर्श औद्यौगिक एस्टेटों, विशेष आर्थिक जोनों के माध्यम से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का विकास।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 में मेट्रो केन्द्रों, क्षेत्रीय केन्द्रों, उप-क्षेत्रीय केन्द्रों, सेवा केन्द्रों, केन्द्रीय गांवों और बुनियादी गांवों को शामिल करते हुए एक छः स्तरीय बस्ती पद्धति का प्रस्ताव है। क्षेत्रीय योजना-2021 में निम्नलिखित के अनुसार 7 मेट्रो केन्द्रों (10 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले शहर/काम्पलेक्स) तथा 11 क्षेत्रीय केन्द्रों (3 से 10 लाख की आबादी वाले शहर/काम्पलेक्स) का निम्नलिखित प्रस्ताव है:-

I	**मेट्रो केन्द्र**
1	फरीदाबाद-बल्लभगढ
2	गुडगाँव-मानेसर
3	गाजियाबाद-लोनी
4	नोएडा
5	सोनीपत-कुंडली
6	ग्रेटर नोएडा
7	मेरठ

II	**क्षेत्रीय केन्द्र**
1	बहादुरगढ़
2	पानीपत
3	रोहतक
4	पलवल
5	रेवाड़ी-धारूहेरा-बावल
6	हापुड़-पिलखुआ
7	बुलंदशहर-खुर्जा
8	बागपत-बड़ौत
9	अलवर
10	ग्रेटर भिवाड़ी
11	शाहजहाँपुर-नीमराणा-बेहरोड़

इस क्षेत्र मे द्रुत शहरीकरण और विकास को देखते हुए यह क्षेत्र बेतरतीब अनियोजित विकास अनाधिकृत निर्माण और अतिक्रमणों के खतरे का सामना कर रहा है। बेतरतीब विकास को रोकने और अच्छी कृषि भूमि को गैर कृषि उपयोगों में बदलने से बचाने के लिए ग्रामीण - शहरी सतत् विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कस्बों के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 में निर्धारित नीतियों का अनुपालन करते हुए शहरी बस्तियों के साथ-साथ ग्रामीण बस्तियों के लिए विभिन्न स्तरों पर महायोजनाएँ तैयार करने की अत्यंत आवश्यकता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए आश्रय, पानी, सीवरेज, सीवेज परिशोधन, ठोस कचरा प्रबन्धन, जल निकासी, बिजली, परिवहन, आदि जैसी भौतिक और सामाजिक बुनियादी सुविधाओं के प्रस्तावों/कार्यनीतियों/परियोजनाओं की आवश्यकता है। सहभागी राज्य सरकारों और उनके संबंधित विभागों/एजेंसियों द्वारा परियोजनाओं को भी समयबद्ध ढंग से कार्यान्वित किए जाने की जरूरत है।

इसके अलावा, पानी और बिजली तथा सफाई जैसे बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने तथा बढ़ाने के लिए संबंधित एजेंसियों द्वारा नए दृष्टिकोणों और नवप्रवर्तन तकनीकों को अपनाने की जरूरत है । भू-जल पुनर्भरण और जल संग्रहण को भवन उप नियमों में शामिल करने के साथ-साथ जल पुनःभराव क्षेत्रों के संरक्षण के लिए सहभागी राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न नगर योजना अधिनियमों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है । क्षेत्रीय योजना-2021 में विशेष रूप से तेजी से घट रहे प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वन एवं जैव विविधता पर चिंता जताई गई है तथा इसका मुख्य कारण रा.रा.क्षे. का तीव्र शहरीकरण बताया है।

IX. सिंहावलोकन का वर्ष: 2016-17

वर्ष 2016-17 के दौरान शुरू किए गए प्रमुख कार्यकलापों और उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:-

क. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 का कार्यान्वयन

क्षेत्रीय योजना-2021 की नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रा.रा.क्षे.यो.बो. ने एनसीआर की संघटक राज्य सरकारों/एजेंसियों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के द्वारा विभिन्न पहल/कार्रवाइयां की हैं।

i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड ने क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा का कार्य प्रारंभ किया ।

ड्राफ्ट संशोधित आरपी-2021 (डीआरआरपी-2021) को एमसीआर प्रतिभागी राज्य सरकारों, केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों आदि के परामर्श से तैयार किया गया था और आपत्ति /सुझाव आमंत्रित करने के लिए 29.07.2013 को प्रकाशित किया गया था। इसके बाद, एनसीआर के लिए डीआरआरपी-2021 एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 की धारा 13 के तहत अधिसूचना के लिए 20.01.2014 को आयोजित बोर्ड की 34वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था। हालांकि, बोर्ड ने डीआरआरपी की कुछ नीतियों और प्रस्तावों पर 25.04.2014 को आयोजित अपनी विशेष बैठक में प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार, पुन: चर्चा की। प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) से प्राप्त दिशानिर्देशों में कहा गय था कि **"प्रस्तावित क्षेत्रीय योजना-2021 और हरियाणा उपक्षेत्र की उप-क्षेत्रीय योजना (एसआरपी)-2021 पर तब तक कोई अंतिम निर्णय न लिया जाए जब तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (एमओईएफ&सीसी) मंत्रालय द्वारा उठाए गए मुद्दों का पूर्ण समाधान न हो और पीएमओ को एक अनुपालन रिपोर्ट न भेजी जाए"** ।

पीएमओ के निर्देश की अनुपालना और इसके बाद डीआरआरपी-2021 पर एमओईएफ &सीसी से विचार/टिप्पणियों की प्राप्ति के पश्चात, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, एमओयूडी और एमओईएफ&सीसी के बीच विचार-विमर्श और पत्र-व्यवहार के कई दौर हुए। दिनांक 15.06.2016 को आयोजित बोर्ड की 36वीं बैठक में भी इस मामले पर चर्चा हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि डीआरआरपी-2021 से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए सचिव(यूडी), भारत सरकार की अध्यक्षता में एमओईएफ&सीसी के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी। तदनुसार, 07.09.2016 को शहरी विकास मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें एमओईएफ&सीसी द्वारा उठाए गए तीन लंबित मुद्दों पर विस्तार से विचार किया गया और उन पर कुछ निर्णय भी लिए गए । यह भी निर्णय लिया गया था कि एमओईएफ&सीसी बैठक में लिए गए फैसलों पर अपनी सहमति/स्वीकृति सूचित करेंगे, ताकि डीआरआरपी-2021 की अधिसूचना/प्रकाशन के संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा सके। जवाब में, 11.01.2017 को, एमओईएफ&सीसी ने डीआरआरपी-2021 के 'अध्याय 14: पर्यावरण' और 'अध्याय 17: क्षेत्रीय भू-उपयोग' पर अधिक जानकारी प्रदान की। आरपी-2021 के संशोधित ड्राफ्ट की जांच प्रक्रियाधीन है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 में दिए गए जनादेश के अनुसार लागू होने के बाद प्रत्येक पांच वर्षों में क्षेत्रीय योजना की समीक्षा के अनुसरण में, आरपी-2021 की दूसरी समीक्षा का अभ्यास शुरू कर दिया गया है।

ii) एनसीआर में प्रतिभागी राज्यों के नए शामिल जिलों के लिए नियोजन

एनसीआर में छः नए ज़िलों (दिनांक 1.10.2013 के अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा राज्य के भिवानी और महेंद्रगढ़ जिले और राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले; दिनांक 24.11.2015 की अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा राज्य के जिंद और करनाल जिले और उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जिले) के सम्मिलन के पश्चात, क्षेत्रीय योजना-2021 की तैयारी का काम प्रारम्भ किया गया है। इसके तहत एनसीआर के अतिरिक्त जिलों के लिए क्षेत्रीय भूमि उपयोग की रचना का कार्य नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), भारत सरकार को सौंपा गया है।

iii) कार्यात्मक योजना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 16 कहती है कि *"क्षेत्रीय योजना के प्रवर्तन में आ जाने के पश्चात् बोर्ड, समिति की सहायता से, उतनी कार्यात्मक योजनाएं तैयार कर सकेगा, जितनी भाग लेने वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के उचित मार्गदर्शन के लिए आवश्यक हों।"*

उक्त के अनुपालन में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने 2 कार्यात्मक योजनाएं तैयार की हैं यथा 'एनसीआर के आर्थिक विकास के लिए कार्यात्मक योजना' तथा 'एनसीआर में ड्रेनेज हेतु कार्यात्मक योजना' । ये कार्यात्मक योजनाएं एनसीआर के प्रतिभागी राज्यों के मार्गदर्शन एवं कार्यान्वयन हेतु परिचालित कर दी गई है ।

iv) उपक्षेत्रीय योजनाओं का निर्माण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 17(1) के अंतर्गत *"प्रत्येक भागीदार राज्य के भीतर उप-क्षेत्र के लिए एक उपक्षेत्रीय योजना राज्य का तैयार करनी होगी तथा प्रत्येक संघ शासित प्रदेश के भीतर उपक्षेत्र के लिए एक उपक्षेत्रीय योजना संघ शासित प्रदेश को तैयार करनी होगी"*।

उपक्षेत्रीय योजनाओं के निर्माण की स्थिति इस प्रकार है:

उप-क्षेत्र	स्थिति
उत्तर प्रदेश	उ.प्र. सरकार ने उ. प्र. उपक्षेत्रीय योजना-2021 को अंतिम रूप दे दिया है तथा उसे दिनांक 31.12.2013 को प्रकाशित कर www.awas.up.nic.in पर अपलोड कर दिया है।
हरियाणा	हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि हरियाणा की उपक्षेत्रीय योजना-2021 को अंतिम रूप दिया जा चुका है तथा उसे वेबसाइट (www.tcpharyana.gov.in) पर अपलोड भी किया जा चुका है । तथापि, हरियाणा सरकार को एमओईएफ&सीसी के साथ कुछ मुद्दों का निराकरण करना है।
राजस्थान	राजस्थान सरकार ने 10.11.2015 को राजस्थान उपक्षेत्र (अलवर जिला) की उपक्षेत्रीय योजना-2021 का अनुमोदन किया है तथा उसे वेबसाइट (www.urban.rajasthan.gov.in/udh) पर अपलोड किया है ।
रा.रा.क्षे. दिल्ली	बोर्ड ने तय किया है कि दिल्ली की महायोजना-2021, जो कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत बनाई गई है, को ही दिल्ली की उपक्षेत्रीय योजना मान लिया जाए । तथापि, इस महायोजना में अंतर्राज्यीय सम्बद्धता के मुद्दों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

दिनांक 01.10.2013 एव 24.11.2015 की अधिसूचनाओं द्वारा सम्मिलित किए गए नए ज़िलों के लिए उपक्षेत्रीय योजना क निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।

v) एनसीआर की क्षेत्रीय योजना-2021 के कार्यान्वयन की निगरानी

क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन की निगरानी विभिन्न स्तरों पर की जाती है, जैसे बोर्ड, योजना समिति, परियोजना स्वीकृति एवं निगरानी समूह (पीएसएमजी), विभिन्न बैठकों के माध्यम से राज्य स्तरीय संचालन समिति। वर्ष 2016-17 के दौरान निम्नलिखित मीटिंग आयोजित की गई:

- बोर्ड की दो बैठकें; 15.06.2016 को आयोजित हुई 36वीं बोर्ड बैठक और 20.12.2016 को आयोजित विशेष बोर्ड बैठक;
- 28.04.2016 को आयोजित योजना समिति की एक बैठक;
- 27.01.2017 को आयोजित पीएसएमजी-I की एक बैठक;

- 16.02.2017 को आयोजित पीएसएमजी-II की एक बैठक;
- 05.10.2016 को आयोजित राज्य स्तरीय संचालन समिति, हरियाणा की एक बैठक;
- 17.11.2016 को एनसीआरपीबी के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित राजस्थान और एनसीआर योजना एवं निगरानी सेल, राजस्थान के साथ एक समीक्षा बैठक,;

इसके अलावा, बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, कुछ नीतियों और प्रस्तावों से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय में निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गई:

- अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी सड़कों/लिंकेज से संबंधित मुद्दे: दो बैठकें जो सचिव (यूडी), भारत सरकार और अवर सचिव (यूडी) की अध्यक्षता में आयोजित की गई;
- सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दे हरियाणा के 'वन' और 'अरावली पहाड़ियों' की परिभाषा के सम्बंध में: दो बैठकें सचिव (यूडी), भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

vi) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कनेक्टिविटी: मुख्य परियोजनाएँ

क) मध्यवर्ती राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (सीएनसीआर) तक मेट्रो रेल का विस्तार

क्षेत्रीय योजना-2021 में यथा प्रस्तावित, मध्यवर्ती रा.रा.क्षे (सीएनसीआर) तक मेट्रो रेल के विस्तार का कार्यान्वयन दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो का विस्तार नोएडा, गुड़गांव तथा गाज़ियाबाद (वैशाली) तक किया जा चुका है। फरीदाबाद-बल्लभगढ़ तथा मुण्डका-बहादुरगढ़ मेट्रो लाइन पर कार्य प्रक्रियाधीन है । इसके अतिरिक्त, गुड़गांव में रैपिड मेट्रो शुरु की जा चुकी है ।

ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय त्वरित ट्रांजिट प्रणाली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के यात्रियों के लिए परिवहन पर एनसीआर-2032 की कार्यात्मक योजना ने तेज तथा कार्यकुशल सामूहिक परिवहन की संस्तुति दी जिसमे निम्नलिखित आरआरटीएस कॉरीडोर प्रस्तावित है:

प्राथमिकता का क्रम	कोरीडोर	लंबाई (कि.मी.)
1.	दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ	90*
2.	दिल्ली-गुड़गांव-रेवाड़ी-अलवर	180*
3.	दिल्ली-सोनीपत-पानीपत	111*
4.	दिल्ली-फरीदाबाद-बल्लभगढ-पलवल	60.0
5.	गाजियाबाद-खुर्जा	83.0
6.	दिल्ली-बहादुरगढ़-रोहतक	70.0
7.	गाजियाबाद-हापुड़	57.0
8.	दिल्ली-शहादरा-बड़ौत	56.0

**व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार संशोधित*

उक्त 8 कॉरीडोर में से निम्नलिखित 3 प्राथमिकता प्राप्त है। इन तीनों कॉरीडोर कीवर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

प्राथमिकता का क्रम	कोरीडोर	वर्तमान स्थिति
1)	दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हो गई है
2)	दिल्ली-सोनीपत-पानीपत	मसौदा डीपीआर अनुमोदित हो चुकी है और अंतिम रूप प्रक्रियाधीन है
3)	दिल्ली-गुड़गांव-रेवाड़ी-अलवर	मसौदा डीपीआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है

कैबिनेट द्वारा रा.रा.क्षे. परिवहन निगम के गठन को 11.07.2013 को मंजूरी मिल गई थी जिसके साथ ₹100 करोड़ की प्रारंभिक बीज पूंजी भी मिली थी जिसे विकास, कार्यान्वयन, वित्त, पोषण, एवं एनसीआर में आरआरटीएस की अन्य आवश्यकताओं हेतु प्रयोग में लाया जाना था । एनसीआरटीसी का गठन 21.8.2013 को किया गया । इसके आगे का आरआरटीएस संबंधित कार्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) द्वारा किया जाएगा ।

शहरी विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार, दिनांक 30.11.2016 के अनुबंध द्वारा दिल्ली-पानीपत तथा दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर एवं दिनांक 13.01.2017 के अनुबंध द्वारा दिल्ली-अल्वर आरआरटीएस कॉरीडोर की डीपीआर को अंतिम रूप देने के कार्य को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को हस्तांतरित कर दिया गया है ।

ग) **दिल्ली के आसपास पेरीफेरल एक्सप्रेसवे**

पांच राष्ट्रीय राजमार्ग, नामत: रा.रा.-1, रा.रा.-2, रा.रा.-8, रा.रा.-10 तथा रा.रा.-24 (पुराने अंक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के रिंग रोड पर आकर मिलते हैं जिसके कारण न केवल रिंग रोड बल्कि आसपास की बड़ी सड़कों पर भी भारी भीड़ हो जाती है । बाईपास प्रदान करने के लिए एनसीआर क्षेत्रीय योजना-2021 में दिल्ली के आसपास पेरीफेरल एक्सप्रेसवे बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था । इस बाईपास का पश्चिमी हिस्सा रा.रा.-1 से कुण्डली में, रा.रा.-2 से पलवल में तथा रा.रा.-8, रा.रा.-10 से गुजरते हुए दिल्ली के पश्चिमी हिस्से में मिलेगा । इसे पश्चिमी पेरीफेरल कहा जाएगा। बाईपास का पूर्वी आधा हिस्सा उत्तर में रा.रा.-1 कुण्डली में, दक्षिण में रा.रा.-2 से पलवल में तथा रा.रा.-24 से गुजरते हुए दिल्ली के पूर्वी हिस्से में मिलेगा। इसे पूर्वी पेरीफेरल (कुण्डली-गाज़ियाबाद-पलवल) कहा जाएगा ।

वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के कार्यान्वयन का कार्य एचएसआईआईडीसी, हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है । वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के पलवल से मानेसर तक के विस्तार का कार्य पूर्ण हो गया है तथा यह हिस्सा जनता के लिए खोल दिया गया है तथा मानेसर से कुण्डली तक के विस्तार का कार्य सौंपा जा चुका है । पूर्वी पेरीफेरल एक्स्प्रेस्वे का कार्यान्वयन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है ।

ख. **<u>बोर्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं</u>**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम की धारा 8 (ड) के तहत बोर्ड व्यापक स्कीमों का चयन और अनुमोदन कर सकता है और उनके कार्यान्वयन के लिए सहायता उपलब्ध करा सकता है। बोर्ड उक्त धारा के प्रावधानों के तहत इस क्षेत्र के संतुलित विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दायरे में एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को वित्त उपलब्ध करा रहा है। बोर्ड घटक राज्यों/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को परियोजना की अनुमानित लागत का अधिकतम 75% ऋण के रूप में उपलब्ध कराता है तथा बाकी राशि उन्हे स्वयं वहन करनी होती है ।

31 मार्च 2017, की स्थिति के अनुसार, बोर्ड ने ₹29287 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 299 बुनियादी सुविधा विकास परियोजनाओं को ₹13520 करोड़ ऋण के रूप में स्वीकृत किया । बोर्ड ने मार्च 2017 तक, ₹8872 करोड़ की ऋण राशि जारी की है।

जनवरी, 2017 में संपन्न 54वीं पीएसएमजी-I की बैठक में ₹1663 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 8 बुनियादी सुविधा परियोजनाओं के लिए ₹2378 करोड़ की वित्तीय सहायता अनुमोदित की गई । इन में की 6 आरओबी, एक ऐलीवेटेड रोड तथा राजस्थान की एक नदी कायाकल्प परियोजना है ।

पूर्ण तथा प्रक्रियाधीन परियोजनाओं के साथ उपक्षेत्रवार ब्यौरा तालिका 1 में दिया गया है:

तालिका-1:राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के उप क्षेत्रवार ब्यौरे (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार)

(₹ करोड़ो में)

क्रम सं.	राज्य	स्थिति	परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	एनसीआरपीबी द्वारा जारी ऋण
1	राजस्थान [सीएमए-कोटा समेत]	प्रक्रियाधीन	13	2656	1872	66
		पूर्ण	30	1679	631	594
	उप योग		**43**	**4335**	**2503**	**660**
2	उत्तर प्रदेश [सीएमए-बरेली समेत]	प्रक्रियाधीन	9	7237	2654	1188
		पूर्ण	49	1949	834	609
	उप योग		**58**	**9186**	**3488**	**1797**
3	हरियाणा [सीएमए-हिसार समेत]	प्रक्रियाधीन	25	2307	1552	1085
		पूर्ण	163	12547	5402	4821
	उप योग		**188**	**14854**	**6954**	**5906**
4	एनसीटी- दिल्ली	प्रक्रियाधीन	1	102	76	20
		पूर्ण	2	521	310	310
	उप योग		**3**	**623**	**386**	**330**
5	पंजाब में सीएमए पटियाला	प्रक्रियाधीन	0	0	0	0
		पूर्ण	2	79	46	46
	उप योग		**2**	**79**	**46**	**46**
6	मध्य प्रदेश में सीएमए-ग्वालियर	प्रक्रियाधीन	1	76	42	32
		पूर्ण	4	134	101	101
	उप योग		**5**	**210**	**143**	**133**
	कुल	प्रक्रियाधीन	**49**	**12378**	**6196**	**2391**
		पूर्ण	**250**	**16909**	**7324**	**6481**
	कुल जोड		**299**	**29287**	**13520**	**8872**

अनुलग्नक-1 के अनुसार, बोर्ड द्वारा वित्त पोषित 299 परियोजनाओं में से प्राप्त सूचना के अनुसार 250 परियोजनाएं पूरी हो गई है और 49 कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है । स्वीकृत ऋण की दृष्टि से परियोजनाओं का क्षेत्रवार सार क्रमशः चित्र-1 में दिया गया है ।

चित्र-1

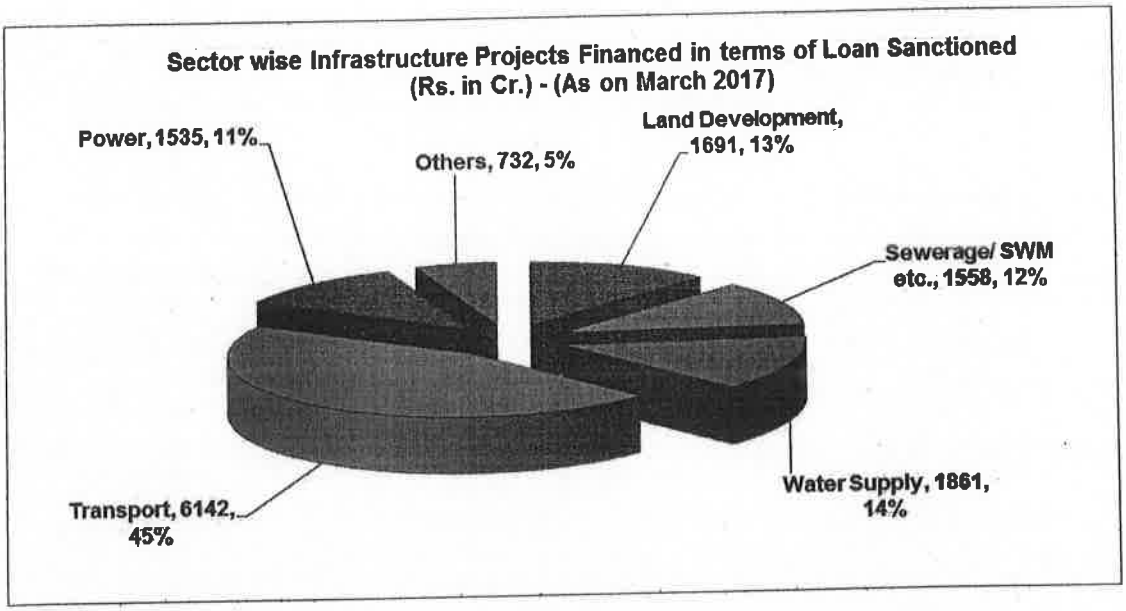

अनुलग्नक-1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की ऋण सहायता प्राप्त अवसंरचना परियोजनाओं की सूची (मार्च 2016 तक की स्थिति)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	वास्तविक रुप से जारी ऋण की राशि
	हरियाणा उप क्षेत्र					
	परिवहन क्षेत्र परियोजना (14 संख्या)					
1	राष्ट्रीय राजमार्ग -8 तक, शाहजहांपुर रेवाडी मार्ग 6 किमी तक, रेवाडी-मारनौल मार्ग (एसएच 26), रेवाडी मोहिंदरगढ मार्ग, रेवाडी दादरी मार्ग प्रस्तावित बाईपास तक रेवाडी कोट कासिम मार्ग को चार लेन बनाने के द्वारा सुधार।	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	नवम्बर-08	106.07	79.55	71.77
2	एल/सी सं. 553 पर दिल्ली पलवल मथुरा रेलवे लाइन पर होडल हसनपुर मार्ग पर 2 लेन के आरओबी का निर्माण	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	दिस-12	24.10	13.76	10.88
3	एल/सी सं. 29 पर दिल्ली अम्बाला रेलवे लाइन पर चीनी मिल के समीप सोनीपत पुरखास मार्ग पर 2 लेन आरओबी	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	दिस-12	40.37	16.42	13.21
4	गुडगांव-चंदू-बादली-बहादुरगढ मार्ग को चौडा करना और दर्जा उन्नत करना	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	दिस-12	244.10	183.08	109.85
5	रोहतक जिले में दक्षिणी बाईपास पर राष्ट्रीय राजमार्ग-10 से राष्ट्रीय राजमार्ग-71 तक मार्ग का निर्माण	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	दिस-13/ मई-15	27.66	20.75	16.30
6	झज्जर/गुडगांव जिला में झज्जर फरुखनगर -गुडगांव मार्ग को चार लेन का मार्ग बनाना	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	दिस-13/ जनवरी-16	115.11	86.33	59.53
7	रेवाडी प्रभाग (हेलीमंडी से पहलावास मार्ग, कोसली - गुरयानी से पहलावास राष्ट्रीय राजमार्ग-71 और दहिना-जातुसाना मार्ग) में 3 मार्गों को उन्नत दर्जे का बनाना	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	दिस-13/ मई-2015	83.53	62.65	25.06
8	रोहतक जिले में लखनमाजरा मैहम रोड पर दिल्ली भटिंडा रेलवे लाइन पर 4 लेन आरओबी का निर्माण	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	जन-16	56.04	23.15	9.26
9	पानीपत जिले में दिल्ली वाटर कैरियर लिंक के साथ एलसी सं 54 पर जींद पानीपत सेक्शन (66/9-10) क्रासिंग रोड पर 2 लेन आरओबी का निर्माण	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	जन-16	32.58	11.18	4.47

10	पानीपत जिले में एलसी सं 55 पर जींद-पानीपत सेक्शन में (67/10-11) पानीपत काबली रोड पर 2 लेन आरओबी का निर्माण	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	जन-16	29.46	11.29	4.52
11	हिसार, डाबरा चौंक में हिसार सदलपुर रेलवे लाइन एवं पुराने डीएचएस क्रासिंग (आरडी 164.60) पर एलसी 3 पर अतिरिक्त 2 लेन आरओबी का निर्माण	लोनिवि (बीएंडआर), हरियाणा	जन-16	74.67	56.00	22.40
12	रोहतक शहर में छोटू राज चौंक से पुराने बस स्टैंड (74.00 से 75.86 किमी) तक रा.रा.10 पर ऐलीवेटेड रोड का निर्माण	लोनिवि (बीएंडआर), हरियाणा	जन-16	152.83	114.62	45.85
13	एचएसआईडीसी, हरियाणा नियंत्रित प्रवेश वाले कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे का विकास (मानेसर आरडी 83.320 से पलवल आरडी 135.650 किमी)	एचएसआईआईडीसी	जन-16	457.81	343.35	324.68
				1444.33	**1022.13**	**717.78**
	सीवरेज क्षेत्र की परियोजनाएं (6 संख्या)					
14	रोहतक नगर में सीवरेज प्रणाली का विकास और दो एसटीपी का निर्माण	पीएचईडी हरियाणा	फरवरी-06	44.25	33.20	33.20
15	कोसली, जिला रेवाडी के गांव कोसली, भाकली और कोसली के रेलवे स्टेशन क्षेत्रों में सीवरेज की सुविधाएं उपलब्ध करना	पीएचईडी हरियाणा	अक्तू-07	8.70	6.53	5.22
16	पटौदी नगर, गुडगांव जिला के लिए सीवरेज प्रणाली और शोधन संयंत्र उपलब्ध कराना	पीएचईडी हरियाणा	अग-11	14.50	10.87	8.27
17	मेवात जिले के पुनहाना नगर के लिए सीवरेज प्रणाली उपलब्ध कराना	पीएचईडी हरियाणा	अग-11	12.50	9.37	9.37
18	पलवल जिले के हाथिन नगर के लिए सीवरेज प्रणाली और शोधन संयंत्र उपलब्ध कराना	पीएचईडी हरियाणा	अग-11	12.3	9.23	8.00
				92.25	**69.20**	**64.06**
	जल क्षेत्र की परियोजनाएं (5 संख्या)					
19	सोहना कस्बे और रोजका मेओ औद्योगिक क्षेत्र, सोहना में जल आपूर्ति	पीएचईडी हरियाणा	नव-08	65.34	24.50	24.50
20	नलहर मेडिकल कालेज एवं नूह कस्बे के लिए जल आपूर्ति स्कीम	पीएचईडी हरियाणा	अग-11/मई-15	150.00	112.50	90.13
21	पटौदी और समीप के हैलीमंडी कस्बे और इसके समीपस्थ सात गांवों के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि	पीएचईडी हरियाणा	नव-11/ मई-15	41.15	30.86	23.88
22	गुडगांव जिले के फारुखनगर कस्बे और पांच गावों के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि	पीएचईड़ी हरियाणा	नव-11/ मई-15	13.90	10.43	6.78

23	एचएसआईआईडीसी द्वारा मानेसर आईएमटी में जलापूर्ति परियोजना		मई-15	223.80	155.65	31.13
				494.19	**333.94**	**176.42**
	विद्युत क्षेत्र की परियोजनाएं (3 संख्या)					
24	हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में विद्युत अवसंरचना के सुदृढीकरण के लिए स्कीम - ट्रांसमिशन कार्यों की वृद्धि	हरियाणा बिद्युत प्रसारण निगम	नव-08	79.43	59.58	59.58
				79.43	**59.58**	**59.58**
	सामाजिक क्षेत्र (3 संख्या)					
25	रोहतक में तकनीकी संस्थानों की स्थापना	डीटीई तक. शिक्षा हरियाणा सरकार	मई-10	197.00	67.50	67.50
				197.00	**67.50**	**67.50**
	हरियाणा उप योग (25 संख्या)			**2307.20**	**1552.35**	**1085.34**
	उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र					
	भूमि विकास क्षेत्र (1 संख्या)					
26	गंगा नगर आवासीय स्कीम, बुलंदशहर	बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण	नव-04 / मई-10	69.14	48.09	35.09
				69.14	**48.09**	**35.09**
	परिवहन क्षेत्र की परियोजना (3 संख्या)					
27	ट्रांसपोर्ट नगर स्कीम, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण	नव-04	33.71	20.65	17.79
28	नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा के मध्य मेट्रो संबद्धता परियोजना (29.707 किमी)	जीएनआईडीए	जन-16	5533	1587.00	580.00
29	जीडीए द्वारा गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में 6 लेन एलीवेटेड रोड (हिन्डन) का विकास	जीडीए	जन-16	1147.60	700.00	420.00
				6714.31	**2307.65**	**1017.79**
	जल क्षेत्र की परियोजना (2 संख्या)					
30	डब्ल्यूटीपी साइट से मास्टर जलाशय तक पाल्ला (ग्रेटर नोएडा) निर्मल जल मैन पर देहरा (गाजियाबाद) पर इनटेक से डब्ल्यूटीपी साइट तक रॉ वाटर कन्वेंस मैन	जीएनआईडीए	अग-13	183.19	137.39	83.00
31	देहरा (गाजियाबाद) पर प्राथमिक शोधन निर्माण कार्य, पाल्ला (ग्रेटर नोएडा) में 210 एमएलडी जल शोधन संयंत्र और सम्बद्ध निर्माण कार्य	जीएनआईडीए	अग-13	121.48	87.16	11.00
				304.67	**224.55**	**94.00**
	सीवरेज क्षेत्र की परियोजना (2 संख्या)					
32	इकोटेक--III, ग्रेटर नोएडा में 20 एमएलडी सीवेज शोधन संयंत्र और पंपिंग स्टेशन का निर्माण	जीएनआईडीए	अग-13	28.15	21.10	2.25

33	इकोटेक--II, ग्रेटर नोएडा में 15 एमएलडी सीवेज शोधन संयंत्र और पंपिंग स्टेशन का निर्माण	जीएनआईडीए	अग-13	21.17	15.87	2.00
				49.32	**36.97**	**4.25**
	उ.प्र. उप योग (8 संख्या)			**7137.44**	**2617.26**	**1151.13**
	राजस्थान उप क्षेत्र (6)					
	जल क्षेत्र (5)					
34	अलवर जल आपूर्ति ग्रेड उन्नयन परियोजना	पीएचईडी राजस्थान	अग/अक्तू 2013	174.86	131.14	51.00
35	तिजारा जल आपूर्ति ग्रेड उन्नयन परियोजना	पीएचईडी राजस्थान	अग/अक्तू 2013	16.46	12.35	0.71
36	राजगढ जल आपूर्ति ग्रेड उन्नयन परियोजना	पीएचईडी राजस्थान	अग/अक्तू 2013	20.24	15.18	0.84
37	बहरोर जल आपूर्ति ग्रेड उन्नयन परियोजना	पीएचईडी राजस्थान	अग/अक्तू 2013	26.02	19.51	1.11
38	भिवाडी जल आपूर्ति सुधार परियोजना	पीएचईडी राजस्थान	अग/अक्तू 2013	40.69	30.52	11.86
	कुल योग (राजस्थान)			**278.27**	**208.70**	**65.52**
	दिल्ली उप क्षेत्र (1)					
	अन्य (1)					
39	ईडीएमसी द्वारा शाहदरा दक्षिण जोन में कडकडडूमा संस्थात्मक क्षेत्र में बहु-मंजिली कार्यालय भवन का निर्माण	ईडीएमसी	दिस-13	101.65	76.24	20.00
	योग (दिल्ली)			**101.65**	**76.24**	**20.00**
	काउंटर मैग्नेट क्षेत्र					
	उ.प्र. सीएमए बरेली में परियोजनाएं					
	बरेली में भूमि विकास क्षेत्र (1)					
40	बरेली में राम गंगा नगर आवासीय स्कीम	बरेली विकास प्राधिकरण	दिस-04	99.37	37.00	37.00
	उ.प्र. सीएमए कस्बा बरेली में परियोजनाएं (1)			**99.37**	**37.00**	**37.00**
	मध्य प्रदेश में परियोजनाएं - सीएमए कस्बा एसएडीए ग्वालियर					
	भूमि विकास परियोजनाएं (1)					
41	एसएडीए, ग्वालियर में आवासीय स्कीमों का अवसंरचनात्मक विकास	एसएडीए, ग्वालियर	नव-09	76.07	42.05	31.54
	सीएमए कस्बा एसएडीए ग्वालियर में कुल परियोजनाएँ (1)			**76.07**	**42.05**	**31.54**
	राजस्थान में परियोजनाएं - सीएमए कस्बा जयपुर					
	सीवरेज (1)					

42	जयपुर जेडीए में अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) का कायाकल्प	जेडीए	जनवरी 2017	1582.06	1098.00	0.00
	परिवहन क्षेत्र की परियोजनाएँ (7)					
43	जयपुर में जेपी-डीएलआई रेलवे लाइन पर एल सी -211, गोनर रोड, डांटली पर विद्युतीकरण कार्य सहित सीमित ऊँचाई सबवे (एलएचएस) के साथ 6 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	जनवरी 2017	99.92	59.92	0.00
44	जयपुर में पंचायत भवान/एसबीबीजे बैंक से अंबाबरी टी-जंक्शन तक, मौजूदा झोतवाड़ा आरओबी के साथ साथ, 3 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	जनवरी 2017	166.73	125.00	0.00
45	जेपी-एसडब्ल्यूएम रेलवे लाइन पर एलसी-70 सीतापुर के स्थान पर 6 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	जनवरी 2017	116.17	79.00	0.00
46	एलसी-200, बासी टाउन, जयपुर के स्थान पर एलएचएस के साथ 4 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	जनवरी 2017	57.54	35.50	0.00
47	जयपुर में जयपुर से सीकर रेलवे लाइन पर एलसी-102/2ई जहोटा के स्थान पर 4 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	जनवरी 2017	76.57	57.00	0.00
48	जयपुर में आनंद लोक और स्वपन लोक को जोड़ने के लिए पुल सं.107 के पास जयपुर-सीकर रेलवे लाइन पर आरओबी का निर्माण	जेडीए	जनवरी 2017	29.56	22.00	0.00
49	सोडाला री-जंक्शन से अंबेडकर सर्किल, के पास एलआईसी कार्यालय तक एलीवेटेड रोड का निर्माण	जेडीए	जनवरी 2017	249.49	187.00	0.00
				795.98	**565.42**	**0.00**
	काउंटर मैग्नेट क्षेत्र में कुल परियोजनाएँ			**2378.04**	**1663.42**	**0.00**
	जयपुर शहर (8)					
	काउंटर मैग्नेट क्षेत्र - कुल			**2553.48**	**1742.47**	**68.54**
	योग			**12378.04**	**6197.02**	**2390.53**

(ग) वर्ष के दौरान ऋण संवितरण

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान संघटक राज्यों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को 23 प्रक्रियाधीन और नई परियोजनाओं के लिए ₹1654.48 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है:

(राशि ₹ लाख में)

क्रम सं	परियोजना का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत	उधारकर्ता एजेंसी	परियोजना का प्रकार	जारी ऋण
1	गुड़गांव जिले में फार्रुख नगर टाउन और पांच गांवों के लिए जल आपूर्ति सम्वर्धन	1390.00	पीएचईडी, हरियाणा	जलापूर्ति	365.00
2	अलवर जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	17486.00	पीएचईडी, राजस्थान	जलापूर्ति	728.00
3	बैहरोर जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	2602.00	पीएचईडी, राजस्थान	जलापूर्ति	111.00
4	राजगढ़ जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	2024.00	पीएचईडी, राजस्थान	जलापूर्ति	84.00
5	तिजारा जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	1646.00	पीएचईडी, राजस्थान	जलापूर्ति	71.00
6	"रोहतक जिले में दिल्ली भटिंडा रेलवे लाइन एलसी 79 लखनमजरा मेहम रोड पर 4 लेन आरओबी का निर्माण"	5604.00	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	आरओबी	926.00
7	"पानीपत जिले में दिल्ली जल वाहक लिंक चैनल के साथ जिंद-पानीपत खंड (स्थान 66/9-10) क्रॉसिंग रोड पर एल/सी 54 पर 2 लेन आरओबी का निर्माण"	3258.00	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	आरओबी	447.00
8	"पानीपत जिले में पानीपत काबरी रोड पर जिंद पानीपत खण्ड, स्थान 67/10-11 पर एलसी 55 पर 2 लेन आरओबी का निर्माण"	2946.00	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	आरओबी	452.00
9	"डबरा चौक हिसार में एलसी 3, सदलपुर रेलवे लाइन, पुराने डीएचएस पार कर आरडी 164.60 पर अतिरिक्त 2 लेन आरओबी का निर्माण "	7467.00	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	आरओबी	2240.00
10	"रोहतक शहर में चौथू राम चौक से पुराने बस स्टैंड (किमी 74.00 से 75.86) में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या10 पर एलीवेटेड रोड का निर्माण"	15283.00	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	सडकें	4585.00
11	"झज्जर/गुड़गांव जिले में झज्जर-फार्रुखनगर-गुड़गांव रोड की चार लैनिंग"	11511.00	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	सडकें	3453.00

11(क)	"झज्जर/गुड़गांव जिले में झज्जर-फार्रुखनगर-गुड़गांव रोड की चार लैनिंग"	11511.00	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	सडकें	2500.00
12	जीडीए द्वारा गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में छह लेन एलीवेटेड रोड (हिंडन) का विकास	114760.00	गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण	सडकें	21000.00
12(क)	जीडीए द्वारा गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में छह लेन एलीवेटेड रोड (हिंडन) का विकास	114760.00	गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण	सडकें	21000.00
13	नल्हार मेडिकल कॉलेज और नूह टाउन के लिए जल आपूर्ति योजना	10560.93	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	जलापूर्ति	2200.00
14	अलवर जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	17486.00	पीएचईडी, राजस्थान	जलापूर्ति	4372.00
15	भिवाड़ी जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	4069.00	पीएचईडी, राजस्थान	जलापूर्ति	1017.00
16	एचएसआईडीसी, हरियाणा द्वारा नियंत्रित प्रवेश वाले कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे का विकास (मानेसर आरडी 83.320 से पलवल आरडी 135.650 किमी)	45781.00	एचएसआईआईडीसी	सड़क	27468.00
16(क)	एचएसआईडीसी, हरियाणा द्वारा नियंत्रित प्रवेश वाले कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे का विकास (मानेसर आरडी 83.320 से पलवल आरडी 135.650 किमी)	45781.00	एचएसआईआईडीसी	सड़क	5000.00
17	देहरा (गाजियाबाद) में इनटेक से कच्चे जल का सम्वहन डब्ल्यूटीपी साइट पल्ला (ग्रेटर नोएडा) तक, डब्ल्यूटीपी साइट से साफ जल का मास्टर रिज़रवायर तक समवहन	18319.00	जीएनआईडीए, उ.प्र.	जलापूर्ति	6900.00
18	रोहतक जिले में दक्षिणी बायपास पर एनएच -10 जंक्शन से एनएच -71 तक सड़क का निर्माण	2766.00	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	सड़क	800.00
19	उत्तर प्रदेश सीमा पर सोनीपत गौहाणा को जिला सोनीपत सीमा सड़क किमी 11.600 से 74,000 तक सुदृढ़ और चौड़ा करना	17626.00	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	सड़क	510.00
20	नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो कनेक्शन परियोजना (29.707 किमी)	553300.00	नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.	मेट्रो	40600.00
20(क)	नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो कनेक्शन परियोजना (29.707 किमी)	553300.00	नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.	मेट्रो	17400.00
21	पटौदी और पास के शहर हेली मंडी और आसपास के सात गांवों के लिए जलापूर्ति सम्वर्धन	4115.00	पीएचईडी, हरियाणा	जलापूर्ति	698.00
22	सोनीपत टाउन, हरियाणा में स्टॉर्म वॉटर ड्रेन का निर्माण	2172.00	पीएचईडी, हरियाणा	ड्रेनेज	357.00

23	हरियाणा के मेवात जिले में पुन्हाना टाउन के लिए सीवरेज योजना प्रदान करना	1249.83	पीएचईडी, हरियाणा	सीवरेज	164.08
कुल					165448.08

(अर्थात ₹1654.48 करोड़)

ख. क्षेत्रवार जारी ऋण का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(करोड़ ₹ में)

2016-17 के दौरान क्षेत्रवार जारी किया गया ऋण	
जलापूर्ति	16546
सीवरेज/ड्रेनेज	521
मेट्रो कॉरीडोर	58000
सड़कें एवं आरओबी	90381
कुल	**165448**

वर्ष 2016-17 के दौरान जारी की गई ऋण राशि बोर्ड की स्थापना से अब तक की अधिकतम राशि है।

घ.(i) वित्तीय संसाधन

1. वर्ष 2016-17 के दौरान बोर्ड के वित्तीय संसाधन निम्नानुसार हैं:

भारत सरकार की बजटीय सहायता

- शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त अंशदान - ₹50 करोड़ ।
- वेतन तथा भत्तों और बोर्ड के अन्य कार्यालय व्यय को पूरा करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय से गैर योजना अनुदान - ₹4.40 करोड़ ।

आंतरिक तथा वाह्य बजटीय संसाधन

- आंतरिक प्रोद्भूत अर्थात राज्य सरकारों और उनके पैरा स्टेटलों को दिए ऋण और बैंकों में जमा धनराशि आदि पर अर्जित ब्याज - ₹386.58 करोड़ ।

- उधार लेने वालों यानी राज्य सरकारों और उनके पैरा स्टेटलों द्वारा ऋण (मूल) का भुगतान - ₹474.69 करोड़ । राज्य सरकारों और उनकी कार्यात्मक एजेंसियों द्वारा ऋणों की वापसी करने में कोई चूक नहीं हुई है। वूसली 100% है ।

2. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, प्राप्त अनुदान और वास्तविक व्यय निम्नलिखित अनुसार हैं:

(लाख ₹ में)

ब्यौरा	शहरी विकास मंत्रालय से अनुदान	वास्तविक व्यय
योजना	50.00	1809.02*
गैर योजना	4.40	17.43**
आरआरटीएस अध्ययन हेतु अनुदान	2.42	1.46

* *अनुदान/बजटीय अंशदान से अधिक हुए व्यय को एडीबी और केएफडब्ल्यू जैसी बहुपक्षीय, द्विपक्षीय एजेंसियों से उधार लेकर तथा ऋण के वापसी भुगतान और बोर्ड के अपने आतंरिक उद्भूत राशि से पूरा किया गया ।*

** *राजस्व व्यय ₹17.43 करोड़ में वर्ष 2016-17 के दौरान बोर्ड के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए ₹12.00 करोड़ का प्रावधान भी शामिल है जिसे बोर्ड के आंतरिक उद्भूत राशि पूरा किया गया ।*

(ii) संसाधन जुटाना

घरेलूपूँजी बाजार

- वर्ष 2016-17 के दौरान, बोर्ड ने घरेलू पूंजी बाजार से कोई राशि नहीं जुटाई है। बोर्ड ने कॉल विकल्प का प्रयोग करके अगस्त, 2016 में ₹134.90 करोड़ की रकम एक असुरक्षित कर योग्य बांड (2019) श्रृंखला II का मोचन (redeem) कर के प्राप्त किए हैं । यह राशि बीआरआर से प्राप्त की गई है ।
- 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार बांडों के जरिए बोर्ड का कुल बकाया ऋण ₹500.00 करोड़ है । इन बांडों की समयावधि, 7 साल के बाद पुट/काल विकल्प समेत, 10 वर्ष है । ये बांड राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेज (एन एस ई)-डब्लयूडीएम घटक में भी सूचीबद्ध हैं तथा बांड इशू के लिए कार्पोरेशन बैंक को न्यासी नियुक्त किया गया है ।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सीआरआईएसआईएल तथा आईसीआरए द्वारा दी गई 'एएए' (स्टेबलआउटलुक) जारी रही । यह उच्चतम पूँजी निवेश ग्रेड रेटिंग्स है जिससे बोर्ड पूँजी बाजार से सस्ती दरों पर संसाधन जुटाने के साथ-साथ बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संसाधनों से निधियां जुटा सकता है ।

- ब्याज के नाम पर देय सभी भुगतान निवेशकर्ताओं को समय पर दे दिये गए हैं । बोर्ड से इस विषय में कोई चूक नहीं हुई है ।

बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वित्त पोषण

<u>एशियाई विकास बैंक से ऋण (एडीबी)</u>

- एशियाई विकास बैंक ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों में बुनियादी सुविधा संबंधी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए बोर्ड को 150 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण अनुमोदित किया है। इस ऋण की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी गई है। 78 मिलियन अमेरीकी डालर की पहली खेप के लिए ऋण अनुबंध पर 17 मार्च, 2011 को हस्ताक्षर किए गए। ट्रेंच -1 की राशि 78 मिलियन डालर में से 18 मिलियन डालर की राशि को रद्द कर दिया गया है । बोर्ड ने कुल ऋण राशि 60 मिलियन डालर का उपयोग 31.12.2014 तक कर लिया है।
- बोर्ड नियमित रूप से एडीबी को देयताओं का भुगतान कर रहा है । दिनांक 31.3.2017 की स्थिति के अनुसार, एडीबी का कुल बकाया ऋण (भुगतान के पश्चात) $58.43 मिलियन है

<u>जर्मन केएफडब्ल्यू द्विपक्षीय एजेंसी से ऋण</u>

- केएफडब्ल्यू द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस कचरा प्रबंधन और शहरी परिवहन क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल स्कीमों के लिए 100 मिलियन यूरो ऋण + 1 मिलियन यूरो अनुदान देने के लिए संबंधित अनुबंधों पर 09 फरवरी, 2012 तथा 30 मार्च, 2012 को हस्ताक्षर किए गए । केएफडब्ल्यू को ऋण वापसी की अवधि मूल धनराशि की अदागयी के लिए 05 वर्ष की स्थगन अवधि समेत 15 वर्ष है । ऋण के लिए स्थाई ब्याज दर 1.83% प्रतिवर्ष है । वित्तीय वर्ष 2016-17 तक बोर्ड ने केएफडब्लयू से 59.36 मिलियन यूरो (₹411.06 करोड़) का दावा किया और इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त कर ली है।
- बोर्ड नियमित रूप से केएफडब्ल्यू को देयताओं का भुगतान कर रहा है।

(iii) लेखों का लेखा परीक्षण

- वर्ष 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के साथ शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

(iv) क्षमता विकास संबंधी प्रयास-पहल

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड और विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों की परियोजना निर्माण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, परियोजना मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, वित्तीय और कोष प्रबंधन क्षेत्रों में क्षमता बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा नियुक्त परामर्शदाताओं के जरिए एशियाई विकास बैंक तकनीकी सहायता के तहत पुस्तिकाएं और टूल किट्स तैयार की गई और व्यापक इस्तेमाल के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं । ये टूलकिट्स और नियम पुस्तिकाएं योजना बनाने, अच्छी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, मूल्यांकन और कार्यान्वयन के क्षेत्र में इस बोर्ड, राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों के कार्मिकों की कार्य क्षमता में काफी बढोतरी करेंगी और इनकी मदद से बोर्ड कारगर वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभा पाएगा ।

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड एवं उसके हितधारियो की क्षमता के विकास हेतु तकनीकी सहायता के लिए केएफडब्ल्यू द्वारा परामर्शदात्री कंपनी मैसर्स जीकेडब्ल्यू कन्सल्ट जीएमबीएच (पूर्व में मैसर्स लाहमेयर जीकेडब्लू कन्सल्ट, जर्मनी) का अनुमोदन तथा नियुक्ति की गई है।

ङ. नई पहल

- बोर्ड की 15.06.2016 को सम्पन्न 36वी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, बोर्ड ने प्रतिभागी राज्यो/सीएमए को अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली ऋण सहायता पर ब्याज़ दर घटा दी है। प्राथमिक अवसंरचना परियोजना पर ब्याज़ दर 7.50% प्रति वर्ष से घटा कर 7.00% प्रति वर्ष एवं अन्य अवसंरचना परियोजनाओं (आवासीय/औद्यौगिक/व्यावसायिक परियोजनाएँ) के लिए 8.50% प्रति वर्ष से घटा कर 7.00% प्रति वर्ष कर दी गई है ।

- बोर्ड ने प्राथमिक अवसंरचना परियोजनाओं अर्थात् जलापूर्ति, सीवरेज, सैनिटेशन, जल निकासी एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि की अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी है जिसमें मूल धन के पुनर्भुगतान के लिए 3 वर्ष का अधिस्थगन काल भी शामिल है। मेट्रो/रैपिड रेल/आरआरटीएस परियोजनाओं के लिए भी ऋण की अवधि बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई है जिसमे मूल धन की वापसी हेतु 5 वर्ष का ऋण स्थगन काल भी शामिल है। इसके साथ ही समयबद्ध तरीके से एनसीआर में जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी सेवाएं प्रदान करने के

लिए राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड ने परियोजना लागत का 15% अनुदान रूप में देने का अनुमोदन किया है। परिवहन, जल और सेनिटेशन जैसी लंबी अवधि और कम रिटर्न वाली परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड ने इन पर ब्याज़ दर 7.50% प्रति वर्ष कर दी है। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए इन्हें प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है एवं इन परियोजनाओं की ब्याज दर 7.50% रखी गई है।

च. प्रशासन और सतर्कता

i) प्रशासन

वर्ष 2016-17 के दौरान, बोर्ड कार्यालय द्वारा एक बोर्ड बैठक तथा एक विशेष बैठक क्रमश: दिनांक 15.06.2017 एवं 20.12.2017 को आयोजित की गई ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड सचिवालय में नियोजन, प्रशासन एवं स्थापना, वित्त तथा परियोजना विंग है। 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार बोर्ड की कुल स्वीकृत और वास्तविक कार्मिक-संख्या निम्नलिखित है -

श्रेणी	स्वीकृत संख्या	वास्तविक संख्या
समूह 'क'	13	9
समूह 'ख'	6	6
समूह 'ग'	25	24
समूह 'घ'	7	7
कुल	**51**	**46**

बोर्ड समय-समय पर लागू अपने भर्ती नियमों तथा भारत सरकार के नियमों/अनुदेशों के अनुसार आरक्षण नीतियों को लागू कर रहा है । बोर्ड के एक अधिकारी को अनु.जाति/अनु.जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांगों समेत अल्पसंख्यक कर्मचारियों के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

ii) सतर्कता

बोर्ड कार्यालय में संयुक्त निदेशक (तक.) को अंशकालिक सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है । सभी सतर्कता संबंधित मामले एवं मुद्दे उनके द्वारा ही देखे जाते हैं ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अधिदेशित ई-गवर्नेंस को बढावा देकर सतर्कता प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए, बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट www.ncrpb.nic.in पर बोर्ड के अधिदेश और कार्य, ऋण सहायता-प्राप्त करने के इच्छुक उधारकर्ताओं हेतु दिशा निर्देश समेत इस संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अपालोड किया जाता है। इस वेबसाइट पर अधिनियमों, नियमों और विनियमों तथा प्रमुख विशेषताओं समेत क्षेत्रीय योजनाओं सबंधी ब्रॉशर, विभिन्न योजनाओं की स्थिति, ऋण सहायता-प्राप्त करने के इच्छुक उधारकर्ताओं हेतु व्यापक दिशानिर्देश, ऋण संबंधी शर्तें, लागू ब्याज दरें और उपलब्ध छूट, परियोजनाओं की स्थिति, वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखे भी उपलब्ध है। इस पर उधारकर्ता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फार्मों, जिन्हें डाऊनलोड किया जा सकता है, समेत टेंडरों/आरएफपी आदि के लिए निर्धारित क्षेत्र सहित पूर्ण ऋण दस्तावेज़ों संबंधी सूचना उपलब्ध है। अन्य अनिवार्य सूचना के अतिरिक्त वेबसाइट पर रिक्त पदों के विज्ञापन, भर्ती के लिए पात्रता-मानदंडों के साथ-साथ भावी उम्मीदवारों द्वारा अपेक्षित अन्य अनिवार्य सूचनाओं को दर्शाया जाता है।

iii) सूचना का अधिकार (आरटीआई)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अनुसार बोर्ड कार्यालय में 6 जन सूचना अधिकारियों और 2 अपीलीय प्राधिकारियों को पदनामित किया गया है। जन सूचना अधिकारियों और अपीली प्राधिकारियों के ब्यौरे बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए हैं। अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया गया है और आवेदन प्रक्रिया तैयार की गई है। आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए सभी कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा इस निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है । इसके अलावा, समय पर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त स्तर पर समय-समय पर निगरानी भी की जाती है । वर्ष 2016-17 में इस अधिनियम के तहत 104 आवेदन प्राप्त हुए और सभी आवेदकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध करा दी गई । बोर्ड कार्यालय नियमित रूप से आवेदनों का तिमाही एवं वार्षिक ब्यौरा केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की वेबसाइट पर अपलोड करता है तथा शहरी विकास मंत्रालय को भी इसकी सूचना दी जाती है।

v) संगठनात्मक ढ़ाँचा

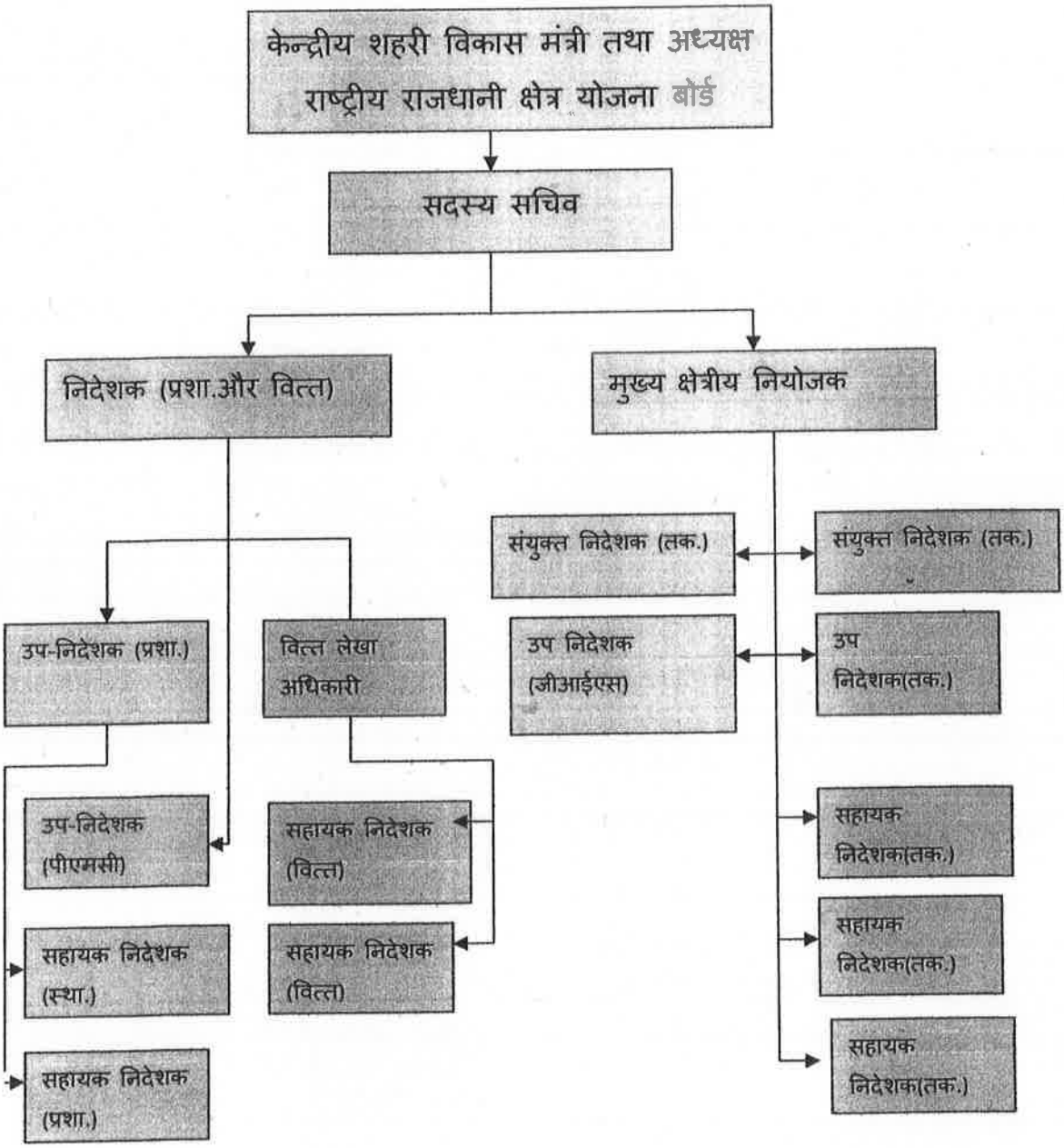
केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री तथा अध्यक्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
सदस्य सचिव
निदेशक (प्रशा.और वित्त)
मुख्य क्षेत्रीय नियोजक
संयुक्त निदेशक (तक.)
संयुक्त निदेशक (तक.)
उप-निदेशक (प्रशा.)
वित्त लेखा अधिकारी
उप निदेशक (जीआईएस)
उप निदेशक(तक.)
उप-निदेशक (पीएमसी)
सहायक निदेशक (वित्त)
सहायक निदेशक(तक.)
सहायक निदेशक (स्था.)
सहायक निदेशक (वित्त)
सहायक निदेशक(तक.)
सहायक निदेशक (प्रशा.)
सहायक निदेशक(तक.)

संगठनात्मक ढ़ाँचा जारी.....

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठ अधिकारी

कम सं.	नाम	पदनाम
1	श्री बी. के त्रिपाठी	सदस्य सचिव
2	**पद रिक्त**	मुख्य क्षेत्रीय नियोजक
3	श्री सुशील पुरोहित	निदेशक (प्रशा एवं वित्त)
4	**पद रिक्त**	संयुक्त निदेशक (तक.)
5	श्रीमती रूचि गुप्ता	संयुक्त निदेशक (तक.)
6	श्री पी. के. जैन	वित्त तथा लेखा अधिकारी
7	**पद रिक्त**	उप निदेशक (प्रशा.)
8	**पद रिक्त***	उप निदेशक (जीआईएस)*
9	श्री पार्थ प्रतिम नाथ	उप निदेशक (तक.)
10	सुश्री नीलिमा माझी	सहायक निदेशक (तक.)
11	श्री नरेश कुमार	सहायक निदेशक (तक.)
12	श्री यशवंत कुमार नामासानि	सहायक निदेशक (तक.)
13	श्री अभिजीत सामंता	सहायक निदेशक (पीएमसी) (बोर्ड की मूल्यांकन पद्धति के अंतर्गत उपनिदेशक-पीएमसी के पद पर पुन पदनामित)
14	श्री डी. के. वर्मा	सहायक निदेशक (वित्त)
15	श्री हर्ष कालिया	सहायक निदेशक (प्रशा.)
16	श्री एस. के. कटारिया	सहायक निदेशक (स्था.)
17	श्री शिरीष शर्मा	सहायक निदेशक (वित्त)

*इस पद पर नियुक्त नियमित अधिकारी किसी अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर है।